(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 06/2023
दिनांकः 15 अप्रैल, 2024

विषयः वर्ष 2024–25 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित आवश्यक वस्तुओं की आपुर्ति पर पत्तन प्रतिबंध को लगाया जाना।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करने हेतु दिनांक 05.04.2024 की अधिसूचना सं. 03/2023 मे निम्नलिखित शर्तों को शामिल करती है:–

वर्ष 2024–25 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणियों के तहत आवश्यक वस्तुओं का निर्यात केवल निम्नलिखित 4 सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से अनुमत होगाः

i. मुंद्रा पत्तन
ii. तूतीकोरिन समुद्री पत्तन
iii. न्हावा शेवा समुद्री पत्तन (जेएनपीटी)
iv. आइसीडी तुगलकाबाद

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचना संख्या 03/2023 दिनांक 05.04.2023 के तहत अधिसूचित कोटा के अनुसार, वर्ष 2024–25 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करने के लिए पत्तन प्रतिबंध को लगाया जाना अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी 15.4.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/59/एएम20/ईसी/(ई–20816) से जारी)